यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर, टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर, टिहरी के माह अप्रैल 2014 से नवम्बर 2018 तक के लेखा अभिलेखो की जांच श्री श्रवण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.12.2018 से 27.12.2018 तक श्री ए. सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया।

भाग-1

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस. के. जौहरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.04.2014 से 01.05.2014 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी जिसमें माह 11/2012 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत विधवा पेंशन, परित्यक्ता पेंशन एवं गौरादेवी कन्याधान योजना इत्यादि के माध्यम से कार्य किया जाता है। इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण टिहरी जनपद है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	-	-	-	-	-	2632.46	2632.46	-
2016-17	-	-	-	-	-	1595.30	1595.30	-
2017-18*	-	-	-	-	-	1908.13	1908.13	-
2018-19* (up to 11/2018)	-	-	-	-	-	1519.25	676.24	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
विधवा पेंशन	566.66	566.66	940.00	940.00	1653.76	1653.76

(iii) इकाई को बजट आवंटन भारत सरकार एवं निदेशक समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन →निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड शासन→जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर, टिहरी।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर, टिहरी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर, टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। लेखापरीक्षा में विधवा पेंशन, परित्यक्ता पेंशन एवं गौरादेवी कन्याधान योजना का विश्लेषण किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (DPC Act, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1: विधवा पेंशन के लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन में समायोजित न किये जाने के कारण केंद्रान्श के लाभ से वंचित रहना।

विधवा पेंशन के सम्बन्ध में भारत सरकार के शासनादेश संख्या जे-11015/1/2011-एनएसएपी दिनांक 30 जून 2011 के अनुसार 40 से 59 साल उम्र की विधवा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के लिए पात्र होगी। 60 से 64 वर्ष के चिन्हित व आच्छादित लाभार्थी जिन्हे इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन का वर्तमान में भुगतान किया जा रहा है, को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में समायोजित कर भुगतान किया जायेगा।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ₹300/- प्रतिमाह एवं राज्य सरकार द्वारा ₹700/- प्रतिमाह (कुल ₹1000/- प्रतिमाह) पेंशन दिया जाता है जबकि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष तक के BPL श्रेणी के लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा ₹200/- प्रतिमाह एवं राज्य सरकार द्वारा ₹800/- प्रतिमाह (कुल ₹1000/- प्रतिमाह) वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता है। इसी तरह 79 वर्ष से अधिक आयु की BPL श्रेणी के लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा ₹500/- प्रतिमाह एवं राज्य सरकार द्वारा ₹500/- प्रतिमाह (कुल ₹1000/- प्रतिमाह) वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता है।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा 18 वर्ष से 39 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के BPL श्रेणी के अतिरिक्त जिन लाभार्थियों की मासिक आय 4000/- तक है, ऐसे समस्त विधवाओं को प्रतिमाह 1000/- विधवा पेंशन स्वयं के स्रोत से दी जाती है।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर, टिहरी की विधवा पेंशन योजना से संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में भिलंगना, देवप्रयाग, चंबा एवं फकोट विकास खंड के अंतर्गत स्वीकृत विधवा पेंशन के लाभार्थियों की जांच की गयी। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत 59 वर्ष से अधिक आयु की 1295 विधवाओं (भिलंगना:678, देवप्रयाग:261 चम्बा:295 एवं फकोट:61) को विधवा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है जबकि 59 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को वृद्धावस्था पेंशन में समायोजित किया जाना चाहिये था। कार्यालय द्वारा यदि 59 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को वृद्धावस्था पेंशन में समायोजित कर वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाता तो भारत सरकार से प्रति लाभार्थी प्रति माह ₹300/- केंद्रान्श के रूप में प्राप्त किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि शासन से उचित दिशानिर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2: गौरादेवी कन्याधन योजना के अंतर्गत 02 बालिकाओं को दोहरा भुगतान एवं 2723 बालिकाओं को योजना के लाभ से वंचित रखा जाना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे निवासरत परिवारों की दो बालिकाओं दारा इंटरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत ₹ 50000/- राष्ट्रीय बचत पत्र व एफ.डी. के माध्यम से प्रदान किया जाता है। कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर, टिहरी की गौरादेवी कन्याधन योजना से संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:

1. उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2015 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली 02 बालिकाओं को योजनांतर्गत दोहरा भुगतान किया गया था जो अनियमित था।

क0 सं0	भुगतान सूची की क0सं0	छात्रा का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	ग्राम/पो0	छात्रा की जन्म तिथि	इन्टर परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	विद्यालय का नाम जहॉ से इन्टर परीक्षा उत्तीर्ण किया है	छात्रा की आवंटित अनूक्रमांक	आय	धनराशि
1	42	मोनीका	भगवान सिह	राजी देवी	ग्राम दाल्डुग पौ0बडियार	05.07.1998	2015	नागराजाधार	15040628	1320	50000
	43	मोनीका	भगवान सिंह	राजी देवी	दालढुग पो0 थातीबडियार	05.07.1998	2015	नागराजाधार	15040628	1320	50000
2	309	रूकमणी	विक्रमसिंह	गंगादेवी	म्गरो	02.06.1996	2015	पौखाल	15044025	1250	50000
	308	रूकमणी	विक्रमसिंह	गंगादेवी	म्गरो	02.03.1996	2015	पौखाल	15044025	1300	50000

2. वर्ष 2014 में उक्त योजना के अन्तर्गत 3181 बालिकाओं द्वारा आवेदन किया गया था जिसके लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा कुल ₹1597.00 लाख (शासनादेश दिनांक:18.07.2014 को ₹230.50 लाख, दिनांक:17.01.2015 को ₹860.00 लाख तथा दिनांक:30.03.2015 को ₹506.50 लाख) उपलब्ध कराया गया था। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2014 में इंटरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण 2036 बालिकाओं को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया जिसके लिये ₹1018.00 लाख व्यय किया गया एवं कार्यालय द्वारा ₹506.50 लाख का आहरण कोषागार से नहीं किया गया जिस कारण धनराशि शासन को समर्पित हो गयी। योजनांतर्गत 1145 बालिकायें वर्तमान तक योजना के लाभ से वंचित है।

3. गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016 में इंटरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण 2931 बालिकाओं द्वारा आवेदन किया गया था जिसके लिये शासन द्वारा ₹786.50 लाख (शासनादेश दिनांक:14.02.2017 को ₹610.50 लाख तथा दिनांक: 02.02.2018 को ₹176.00 लाख) उपलब्ध करायी गयी थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त 2931 आवेदन के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 1353 बालिकाओं को ही योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया था जिसके लिये ₹676.50 लाख व्यय किया गया जबकि उपलब्ध बजट के

अनुसार 220 अन्य बालिकाओं (उपलब्ध बजट: ₹786.50 लाख-₹676.50 लाख = ₹110.00 लाख) को भी योजना से लाभान्वित किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा दोहरे भुगतान के सम्बन्ध में बताया गया कि प्रकरण की जांच की जायेगी। वर्ष 2014 में इंटरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अलाभान्वित बालिकाओं के सम्बन्ध में इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि ₹506.60 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की गयी थी। धनराशि के अभाव में सभी बालिकाओं को लाभान्वित नहीं किया जा सका। वर्ष 2016 में इंटरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अलाभान्वित बालिकाओं के सम्बन्ध में इकाई द्वारा बताया गया कि कतिपय बालिकाओं के बैंक खाता संख्या ठीक न होने के कारण/धनराशि उपलब्ध न होने के कारण योजना का लाभ नहीं दिया जा सका।

इकाई का उत्तर उत्तर मान्य नहीं है क्योकि वर्ष 2014 में सभी बालिकाओं के लिये धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध करा दी गयी थी परन्तु कार्यालय की शिथिलता के कारण धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की गयी परिणामस्वरूप बालिकायें योजना के लाभ से वंचित रह गयी। वर्ष 2016 में इंटरमिडिएट उत्तीर्ण 220 बालिकाओं के लिये धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें दो वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी योजना का लाभ नहीं दिया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- प्राप्त शासकीय धनराशियों के लेखांकन हेतु महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना।

कार्यालय ज़िला प्रोबेशन अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि समान्यतः इकाई स्तर पर गौरादेवी कन्याधन योजना, विधवा पेंशन तथा रा. सा. सा. कार्यक्रम के लाभार्थियों को धनराशि उनके बैंक खाते में कोषागार से सीधे ऑनलाइन अंतरित की जाती है परंतु कुछ संबन्धित लाभार्थियों के बैंक खाते निष्क्रिय होने अथवा आधार से लिंक न होने के कारण उक्त वापस आई धनराशि को इकाई स्तर पर संचालित दो बैंक खातों में जमा किया जाता है जिसको आपत्ति का निराकरण होने के पश्चात पुनः संबन्धित लाभार्थियो के बैंक खातों में स्थांतरित किया जाता है।

लेखापरीक्षा के दौरान आगे यह पाया गया कि इकाई स्तर पर महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे- पार्ट-1 पंजिका (विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त बजट अंकन पंजिका), पार्ट-2 पंजिका (विभिन्न योजनाओं हेतु बजट व्यय पंजिका), विभिन्न योजनाओं पर व्यय नियंत्रण हेतु लेज़र का रखरखाव लेखापरीक्षा अवधि में नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप बैंक खाता संख्या 10803644326 एस बी आई, नरेन्द्रनगर में दिसंबर 2018 में जो धनराशि ₹ 573.15 लाख जमा थी उसमें से ₹119.25 लाख की धनराशि किस योजना से संबन्धित है एवं किस अवधि से बैंक खाते में अवरुद्ध है, कार्यालय स्तर पर उपरोक्त आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव न किए जाने के परिणामस्वरूप स्पष्ट नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई स्तर पर उक्त महत्वपूर्ण लेखा-अभिलेखों का रख-रखाव सुनिश्चित न किए जाने के संबंध में इंगित किए जाने पर ज़िला प्रोबेशन अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि कार्मिकों की कमी होने के कारण उक्त महत्वपूर्ण अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जा सका तथापि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात शीघ्र ही उक्त महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख-रखाव कार्यालय स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा उक्त अवरुद्ध धनराशि को विभागीय प्राप्ति लेखाशीर्ष में शीघ्र ही जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि इकाई स्तर पर शासकीय धनराशियों के उचित लेखांकन हेतु महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे- पार्ट-1 पंजिका (विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त बजट अंकन पंजिका), पार्ट-2 पंजिका (विभिन्न योजनाओं हेतु बजट व्यय पंजिका), विभिन्न योजनाओं पर व्यय नियंत्रण हेतु लेज़र का रखरखाव किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जबकि इकाई स्तर पर विभागीय शिथिलतावश ऐसा नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप इकाई स्तर पर संचालित बैंक खाता संख्या -10803644326 एस बी आई, नरेन्द्रनगर में दिसंबर 2018 में जो धनराशि ₹ 573.15 लाख जमा थी उसमें से ₹119.25 लाख की धनराशि किस योजना से संबन्धित है एवं किस अवधि से बैंक खाते में अवरुद्ध है, कार्यालय स्तर सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

अतः कार्यालय ज़िला प्रोबेशन अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल स्तर पर प्राप्त शासकीय धनराशियों के लेखांकन हेतु महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख-रखाव न किए जाने के परिणामस्वरूप से ₹119.25 लाख की धनराशि किस योजना से संबन्धित है एवं किस अवधि से बैंक खाते में अवरुद्ध है, कार्यालय स्तर सुनिश्चित नहीं किए जा सकने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर:4- कार्यालय में उपस्थित निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी न किया जाना ।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्यालय में उपस्थित सामग्रियों का सत्यापन प्रति वर्ष 31 मार्च को किया जाना चाहिए तथा निष्प्रयोज्य हुई सामग्रियों की नीलामी की कार्यवाही यथाशीघ्र कराकर प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर, टिहरी के लेखा अभिलेखो की जांच में पाया गया कि वर्तमान में जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा कार्यालय में उपस्थित सामग्रियों की नीलामी की कार्यवाही नही की गयी थी जबकि कार्यालय के अंतर्गत निष्प्रयोज्य सामग्रियाँ विगत चार वर्षो से पड़ी हुई है।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि लेखापरीक्षा दल द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। इकाई के उत्तर से लेखा परीक्षा मत की स्वयमेव पुष्टि होती है ।

अतः कार्यालय में उपस्थित निष्प्रयोज्य सामग्रियों के नीलामी की कार्यवाही न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर:5- पात्रता सुनिश्चित किए बिना विगत दो वर्षो से परित्यक्त/निराश्रित महिलाओं को अनुदान का लाभ प्रदान किया जाना।

उत्तराखंड शासन के समाज कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 1407 /XXII/2011-10(01)/2009 देहारादून दिनांक 15 दिसंबर, 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली परित्यक्त विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण-पोषण अनुदान व्यक्तिगत रूप से मासिक सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देशय है। इस योजना के अंतर्गत निराश्रित परित्यक्त महिला की श्रेणी में ऐसी विवाहित महिलाओं को सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें शादी के उपरांत 07 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया हो और पति लापता हो गया हो अथवा पति के द्वारा परित्याग कर दिया गया हो तथा उसके भरण-पोषण हेतु निर्वाह भत्ता स्वयं अथवा न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रदान नही किया जा रहा हो, परित्यक्त महिला ससुराल अथवा अपने पैतृकग्राम में से किसी भी स्थान पर निवास कर रही हो पर विचार किया जाएगा। ऐसे महिलाएं जिनके पति मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण कोई काम काज करने में असमर्थ हो तथा अपने परिवार का भरण-पोषण में अक्षम हो चुके हों। ऐसी महिलाएं जो किसी भी सामाजिक अथवा आर्थिक परिस्थितियो वश या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शारीरिक अक्षमता (किन्तु विकलांगता की श्रेणी में न आ पा रही हो) के कारण शादी से वंचित रह गई 40 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाओं को भी निराश्रित अविवाहित की श्रेणी में रखा जाएगा।

इस योजना के लाभार्थियों के जीवित होने अथवा योजना के लिए पात्रता अथवा अपात्रता की पुष्टि हेतु प्रत्येक छमाही में समाज कल्याण विभाग द्वारा खंड विकास अधिकारी एवं तहसील के माध्यम से सत्यापन की जाएगी । सत्यापन के के फलस्वरूप जिनकी पात्रता समाप्त हो जाती है उनके भरण-पोषण अनुदान की सुविधा निरस्त कर दिया जाएगा। चूँकि जिला समाज कल्याण अधिकारी इस योजना के संचालन हेतु उत्तरदायी है। इसलिए ग्राम पंचायत अथवा शहरी क्षेत्र में प्राप्त स्वीकृत आवेदन पत्रों के परीक्षण का अधिकार जिला समाज कल्याण अधिकारी पर निहित होगा।इस प्रकार किसी भी कारणवश गलत स्वीकृत आवेदन पत्र अथवा छमाही सत्यापन के बाद अपात्र पाये गए आवेदकों के भरण-पोषण अनुदान को निरस्त करने का अधिकार भी जिला समाज कल्याण अधिकारी पर निहित होगा। आवेदन पत्र की पर्याप्त प्रतियाँ जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा विकास खंड के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी नरेंद्र नगर की परित्यक्त विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नियों एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं के अनुदान संबन्धित लेखा अभिलेखो की जांच में पाया गया कि वर्तमान में कुल 223 लाभार्थियों को उक्त भरण-पोषण का लाभ दिया जा रहा था । आगे अभिलेखो की जांच में पाया गया कि इन लाभार्थियो का विगत दो वर्षो से कोई सत्यापन का कार्य नही कराया गया है, जिससे यह पता लगाना संभव नही हो पा रहा है कि क्या ये लाभार्थी वर्तमान तक वास्तव में पात्रता की श्रेणी में आ भी रहे है या नही।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि लेखा परीक्षा दल द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात शासनादेश के क्रम में सत्यापन का कार्य शीघ्र करा लिया जायेगा। इकाई के उत्तर से लेखा परीक्षा मत की स्वयमेव पुष्टि होती है ।

अतः पात्रता सुनिश्चित किए बिना विगत दो वर्षो से परित्यक्त/निराश्रित महिलाओं को अनुदान का लाभ प्रदान किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित पस्तरों का विवरण निम्नवत है:

प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर	भाग-दो (ब) प्रस्तर	प्रतिपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
11/2014-15	-	01	

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में इकाई द्वारा बताया गया कि अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..................शून्य.................

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर, टिहरी तथा उनके कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि चयनित माह से संबन्धित निम्नलिखित अभिलेख (विल/वाउचर) लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

March-2016		***March-2017***	
Bill. No.	***Amount***	***Bill. No.***	***Amount***
67	150000.00	67	2900400.00
52	1620.00	68	1063000.00
49	2407.00	64	1543000.00
51	1600.00	63	3000000.00
56	1000.00	61	2782400.00
53	3000.00	66	3000000.00
54	3000.00	65	3000000.00
55	3000.00	73	600000.00
54	1400.00	78	3000000.00
47	2600.00	117	3000000.00
42	5000.00	201	2100000.00
72	7500.00	103	200000.00
70	9647.00	110	3000000.00
65	20000.00.00	104	150000.00
69	10050.00	106	100000.00
62	22952.00	108	400000.00
92	1000.00	109	2850000.00
91	2000.00	118	2700000.00
90	5380.00	116	3000000.00
89	10400.00	115	3000000.00
73	500.00	114	2950000.00
93	5000.00	113	3000000.00
92	1000.00	112	3000000.00
	5007.00	123	3000000.00
120	4000.00	121	3000000.00

117	5020.00	119	3000000.00
114	3000.00	70	100000.00
121	980.00	101	1690000.00
118	7000.00	71	1952.00
119	5000.00	124	2676.00
123	593.00	26	7000.00
		22	2500.00
		21	2000.00
		123	3386.00
		48	5324.00
		47	5727.00
		102	50000.00
		115	27887.00
		129	1998000.00
		128	1998000.00
		127	1998000.00
		126	1998000.00
		125	1998000.00
		134	1998000.00
		124	1998000.00
		123	1998000.00
		122	1998000.00
		130	1998000.00
		131	1998000.00
		132	1998000.00
		130	45000.00
		133	1998000.00
		124	1998000.00
		129	1998000.00
		135	1998000.00
		136	1998000.00
		137	1998000.00

2. **सतत् अनियमितताएः   शून्य**

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री ए.के.सैनी	जिला प्रोबेशन अधिकारी	01.04.2014 से 26.05.2014
2.	श्री जीत सिंह रावत	जिला प्रोबेशन अधिकारी	27.05.2014 से 01.07.2015
3.	श्री अविनाश सिंह भदौरिया	जिला प्रोबेशन अधिकारी	02.07.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर, टिहरी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजकि क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकर भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.